मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 43/2021 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– संजय गिरी पिता प्रेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

–वादी

बनाम

1– उंकारगिरी पिता हेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2– लालूगिरी पिता लक्ष्मणगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
3– दिनेश गिरी पिता लक्ष्मणगिरी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
4– राधाबाई पुत्री लक्ष्मणगिरी पत्नी जगदीश पुरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
5– रूकमण पुत्री लक्ष्मणगिरी पत्नी शिवपुरी गुसाई निवासी भियाणा तहसील बड़ीसादड़ी
6– सोहनबाई पत्नी लक्ष्मणगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
7– श्यामगिरी पिता हेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
8– रामगिरी पिता हेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
9– इन्दुबाला पुत्री प्रेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
10– तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री डी.के. वैष्णव तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा सुथारिया खेड़ा पटवार हल्का बोहेडा की आराजी नं. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 कुल किता 11 रकबा 3.0400 हैक्ट. मे वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 1/20 हक हिस्सा, तथा मौजा बोहेड़ा की आराजी नं. 431 रकबा 0.9200 हैक्ट. व आराजी नं. 428, 429, 432 कुल किता 3 रकबा 0.8000 हैक्ट. में वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 3/20 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1, 7 व 8 का प्रत्येक का 3/20 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 से 6 का शामलाती 3/20 हक हिस्सा अनुसार आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। मृतक प्रेमगिरी व शंकरी बाई का नाम विलोपित किया जावें। इस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद वकील वादी साबित करने में असफल रहा है। इसलिये धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद खारिज की जाती है।

इस वाद के खर्चे......X...... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.........X को दी जावे।
यह आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक [illegible] चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/211 दिनांक : 1/12/202[illegible]

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को [illegible] उपरोक्तानुसार पालना [illegible] पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 43/2021 ई.रे.

1– संजय गिरी पिता प्रेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

–वादी

बनाम

1– उंकारगिरी पिता हेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
2– लालूगिरी पिता लक्ष्मणगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
3– दिनेश गिरी पिता लक्ष्मणगिरी निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
4– राधाबाई पुत्री लक्ष्मणगिरी पत्नी जगदीश पुरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
5– रूकमण पुत्री लक्ष्मणगिरी पत्नी शिवपुरी गुसाई निवासी भियाणा तहसील बड़ीसादड़ी
6– सोहनबाई पत्नी लक्ष्मणगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
7– श्यामगिरी पिता हेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
8– रामगिरी पिता हेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
9– इन्दुबाला पुत्री प्रेमगिरी गुसाई निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
10– तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 27/11/2025**

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के तथ्य इस प्रकार है कि–

1– उक्त प्रकरण में खाता सं. 26 की आराजी नं. 202 रकबा 0.5600 हैक्टे. आराजी नं. 203 रकबा 0.3100 हैक्टे. आराजी नं. 204 रकबा 0.4800 हैक्टे., आराजी नं. 205 रकबा 0.0200 हैक्टे , आराजी नं. 206 रकबा 0. 200 हैक्टे., आराजी नं. 207 रकबा 0.5200 हैक्ट, आराजी नं. 208 रकबा 0.0800 हैक्टे, आराजी नं. 209 रकबा 0.0600 हैक्टे, आराजी नं. 210 रकबा 0.0100 हैक्टे, आराजी नं. 211 रकबा 0.6000 हैक्टे, आराजी नं. 212 रकबा 0.3800 हैक्टे कुल किता 11 रकबा 3.0400 हैक्टे लगानी 41.75 रूपया वाके मौजा सुथारिया खेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है ।

2– खाता सं. 805 की आराजी नं. 431 रकबा 0.9200 हैक्टे. [illegible] 5.92 रूपया वाके मौजा बोहेडा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है ।

3– खाता सं. 804 की आराजी नं. 428 रकबा 0.3700 है [illegible] रूपया आराजी नं. 429 रकबा 0.3700 हैक्ट. लगान 4.81 रूपया आराजी नं. 432 रकबा 0.0600 [illegible] किता 3 कुल रकबा 0.8000 है. लगान 8.8800 रूपया वाके रूपया वाके मौजा बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी मे स्थित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

4– वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा वाद पत्र मे अंकित है। है। हेमगिरी मूल पुरूष है जिनकी मृत्यु हो चुकी है हेमगिरी के वारीस उसके पुत्र उंकारगिरी, लक्ष्मणगिरी, श्यामगिरी, रामगिरी, प्रेमगिरी, व बेवा शंकरीबाई है। शंकरीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पांचो पुत्र है। लक्ष्मणगिरी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पुत्र लालूगिरी दिनेशगिरी एवं पुत्रियां राधाबाई व रूकमणबाई व बेवा सोहनबाई है । प्रेमगिरी की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसका वारीस उसका पुत्र वादी संजयगिरी एवं पुत्री इन्दूबाला है व बेवा पुष्पा जिसकी फौत हो चुकी है।

5– वादपत्र की चरण सं. 1 से 3 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है। हेमगिरी की मृत्यु हो चुकी है हेमगिरी के वारीस उसके पुत्र उंकारगिरी, लक्ष्मणगिरी, श्यामगिरी, रामगिरी, प्रेमगिरी, व बेवा शंकरीबाई है। शंकरीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पांचो पुत्र है। लक्ष्मणगिरी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस उसके पुत्र लालूगिरी दिनेशगिरी एवं पुत्रियां राधाबाई व रूकमणबाई व बेवा सोहनबाई है जो लक्ष्मणगिरी के हिस्से पर काबीज है। प्रेमगिरी की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसका वारीस उसका पुत्र वादी संजयगिरी एवं पुत्री इन्दूबाला है व बेवा पुष्पा जो भी फौत हो चुकी है। प्रेमगिरी के हिस्से पर वादी व इन्दूबाला शांतिपूर्वक काबिज है।

6– वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादी के पिता प्रेमगिरी का 1/20 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रेमगिरी की मृत्यु हो जाने से वादी तथा प्रतिवादी इन्दूबाला प्रेमगिरी के वारीस है जो प्रेमगिरी के हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि वादपत्र की कलम सं. 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में मृतक हेमगिरी का 3/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होने से हेमगिरी की मृत्यु होने के पश्चात हेमगिरी का 3/4 हिस्सा उसके वारीसान के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। शंकरीबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। शंकरीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस वादी व प्रतिवादीगण है इसलिए शंकरी बाई का हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण में समहित हो जाने से वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 3/20 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1, 7 व 8 का प्रत्येक का 3/20 हक हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 से 6 का शामलाती 3/20 हक हिस्सा है। तथा मांगीलाल का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी तथा प्रतिवादी सं. 9 प्रेमगिरी के वारीसान होने से तथा शंकरीबाई की मृत्यु होने से वादी व प्रतिवादीगण शंकरीबाई के वारीसान होने से उक्त हिस्से अनुसार वादी आराजीयात अपनी खातेदारी में घोषणा कराने का अधिकारी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। शेष हिस्सा यथावत रखया जावे।

7– वादपत्र की कलम सं. 1 से 3 में वर्णित आराजीयात हेमगिरी जी के समय से चली आ रही है तथा वादी के नाबालिग अवस्था में उसके पिता हेमगिरी की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण उसकी नाबालिग अवस्था का फायदा उठाकर अच्छी किस्म की जमीन पर कब्जा कर हस्तांतरीत करने पर अमादा है तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर अमादा है। वादी वर्तमान में बालिग हो चुका है। तथा अपना भला बुरा समझता है व अपनी सम्पत्ति सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात का जब तक विधिवत बंटवाडा नही जावे जावे तक आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरीत नहीं करें न करावे तथा वादी को अपने हक हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयो उपभोग करने देवें। अतः निवेदन है कि वादी निम्नानुसार डिकी जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:10 IST
Reason: SelfAttested

क – कि वादपत्र कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 1/20 हक हिस्सा, वादपत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 3/20 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1, 7 व 8 का प्रत्येक का 3/20 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 से 6 का शामलाती

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

3/20 हक हिस्सा अनुसार आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी में घोषित की जावे उपरोक्त हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायी जावे व बटवाडा कराया जावे शेष हिस्सा यथावत रखया जावे।

ख – वादपत्र की कलम सं. 1 से 3 में वर्णित आराजीयात में वादी का हक हिस्सा निहित होने से तथा वादी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है इसलिए प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक उक्त आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरीत नही करें न करावे तथा वादी को अपने हक हिस्से की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

ग– कि दौरान वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय करने में सफल हो जावे व वादी को उसके कब्जे से बेदखल करने में सफल हो जावे तो वाद प्रस्तुति के समय की स्थिति को बहाल करायी जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। और पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में संजयगिरी व राजू के शपथ पत्र पेश हुये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सुथारिया खेड़ा पटवार हल्का बोहेडा की आराजी नं. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 कुल किता 11 रकबा 3.0400 हैक्ट. मे वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 1/20 हक हिस्सा, तथा मौजा बोहेड़ा की आराजी नं. 431 रकबा 0.9200 हैक्ट. व आराजी नं. 428, 429, 432 कुल किता 3 रकबा 0.8000 हैक्ट. में वादी व प्रतिवादी सं. 9 का शामलाती 3/20 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1, 7 व 8 का प्रत्येक का 3/20 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 से 6 का शामलाती 3/20 हक हिस्सा अनुसार आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित की जावे। मृतक प्रेमगिरी व शंकरी बाई का नाम विलोपित किया जावे। धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद वकील वादी साबित करने में असफल रहा है। इसलिय धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद खारिज की जाती है।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:10 IST
Reason: SelfAttested